फा.सं. 20034/04/2018-रा.भा. (अनु.)

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-।। बिल्डिंग, चौथा तल, बी विंग
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-11001
दिनांक 23 मई, 2018.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राजभाषा विभाग द्वारा विद्वानों की सूची तैयार करने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत ।

राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में हिंदी विद्वानों की सूची तैयार की जाती है, जिसको एक समिति के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विद्वानों के जीवन-वृत्तों को मूल्यांकन कर इस सूची में डाला जाता है । राजभाषा हिंदी के विद्वानों का गैर-सरकारी सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए अब निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए जाते हैं, जो इस कार्यालय ज्ञापन को जारी करने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

(i) आवेदन एवं जीवन-वृत्त हिंदी भाषा में होने चाहिए ।

(ii) न्यूनतम स्नातक स्तर तक हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ी गई हो ।

एवं

हिंदी लेखन/अनुवाद/अध्यापन/शोध का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो

अथवा

समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं के संपादन का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो

अथवा

केंद्रीय सरकार/बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आदि में राजभाषा के कार्यान्वयन का दो वर्ष का अनुभव हो ।

अथवा

राजभाषा विभाग/राजभाषा सेवा से अवकाश प्राप्त अधिकारी हो

(iii) सूची में शामिल विद्वानों का कार्यकाल पांच वर्ष होगा और हर पांच वर्ष के बाद सूची की समीक्षा होगी।

(iv) शैक्षणिक योग्यता एवं उपरोक्त अनुभव का प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न होना चाहिए ।

.....2/-

(v) राजभाषा विभाग इस संबंध में एक प्रोफार्मा बनाकर वेबसाइट पर डालेगा ताकि आवेदन करने के तरीके और मूल्यांकन करने में पारदर्शिता एवं एकरूपता बनी रहे।

(vi)प्रपत्र में यह उल्लिखित होगा है कि 'यदि किसी आवेदन के द्वारा मिथ्या सूचना दी जाएगी, तो भारतीय दंड संहिता के अध्याय 11 में उल्लिखित धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।'

इन मापदंडों के आधार पर विद्वानों की एक नई सूची तैयार की जाएगी, जिसके लिए राजभाषा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, किंतु वर्तमान विद्वानों की सूची में से जो विद्वान किसी मंत्रालय/विभाग की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य बनाए गए हैं, उनके वर्तमान कार्यकाल तक उन्हें विद्वानों की सूची में यथावत् बनाए रखा जाएगा ।

वर्तमान विद्वानों की सूची में जो लोग किसी भी मंत्रालय/विभाग की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य नहीं हैं, उनसे पुन: उपरोक्त संशोधित मापदंडों के आधार पर आवेदन करने का अनुरोध किया जाता है ताकि एक नई सूची उपरोक्त संशोधित मापदंडों के अनुसार बनाई जा सके ।

इसे माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डॉ. बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव (राजभाषा)

प्रतिलिपि:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।